



कार्यालय नगर निगम, उदयपुर



दूरभाष स.0294-2414165,

ई.मेल garage.umc21@gmail.com

क्रमांक:- गैराज/ननिउ/2022-23/364

दिनांक:- 07.07.2022

सीमित निविदा सूचना

नगर निगम उदयपुर को गैस कटर मशीन, वेल्डिंग मशीन मय ऑपरेटर व वाहन सहित किराये पर उपलब्ध कराने एवं आवश्यकतानुसार वेल्डिंग कार्य मय माल मटेरियल के कार्य की दर संविदा हेतु इच्छुक बीडर्स संलग्न प्रारूप में बोली दिनांक 20.07.2022 को समय दोपहर 12:00 बजे, कार्यालय में प्रस्तुत करें। प्राप्त बोलीया उसी दिन उपस्थित बिडर्स के समक्ष खोली जाएगी। बीड से संबंधित विवरण इंटरनेट साईट www.sppp.raj.nic.in एवं नगर निगम की वेबसाईट www.udaipurmc.org.net पर उपलब्ध है। अनुमानित लागत समस्त व्यय, अन्य करो व जी.एस.टी. सहित:- 2,00,000/-

सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)
नगर निगम, उदयपुर

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

प्रतिलिपि:-

- 1) उक्त निविदा को SPPP पोर्टल पर दिनांक 11.07.2022 को अपलोड कर दिया गया है। जिसके UBN no. UNP2223WSR000066 है।
- 2) प्रभारी विद्युत शाखा को प्रेषित कर लेख है कि निगम की वेबसाईट पर प्रकाशन करावे।

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर



कार्यालय नगर निगम, उदयपुर



दूरभाष स.0294-2414165.

ई.मेल garage.umc21@gmail.com

क्रमांक:- गैराज/ननिउ/2022-23/ 364

दिनांक:- 07.07.2022

सीमित निविदा

कार्य का नाम:- नगर निगम उदयपुर को गैस कटर मशीन, वेल्डिंग मशीन मय ऑपरेटर व वाहन सहित किराये पर उपलब्ध कराने एवं आवश्यकतानुसार वेल्डिंग कार्य मय माल मटेरियल के कार्य की वार्षिक दर संविदा

- बीडर का नाम/पता..... दूरभाष न.....
- बीडर का जी.एस.टी. नम्बर
- निविदा विक्रय दिनांक 12.07.2022 समय प्रातः 11:00 बजे से
- निविदा जमा कराने की दिनांक 20.07.2022 समय दोपहर 12:00 बजे तक
- निविदा खोलने की दिनांक 20.07.2022 समय दोपहर 02:00 बजे
- कार्य की अनुमानित लागत:- 2,00,000/- रु.
- निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 500+18% GST = 590/- का डी.डी नं./नकद/रसीद सं..... दिनांक

क्र. सं.	कार्य का विवरण	इकाई (Unit)	कार्य की दर समस्त कर सहित
1.	गैस कटर, सिलेण्डर ऑक्सीजन व एल.पी.जी. गैस को पूरे भरे हुए तथा साथ में गैस सिलेण्डर पर लगाने वाली पाईप कम से कम 50 फिट लम्बी होनी चाहिए तथा समस्त उपकरणों को लाने-लेजाने, ऑपरेटर, हेल्पर व वाहन का व्यय बीडर का होगा।	प्रतिदिन 08 घण्टा से	रु. अक्षरे:- प्रतिदिन 08 घण्टा प्रति गैस कटर मय ऑपरेटर
2.	वेल्डिंग कार्य प्रति किलो जिसमें आवश्यकतानुसार सरिये, पाईप, एंगल, पत्ती से वेल्डिंग किया जाना होगा। इस हेतु पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन मय लीड वायर, वेल्डिंग राड व माल मटेरियल (सरिया, पाईप, एंगल, पत्ती आदी) होना जरूरी है तथा समस्त उपकरणों को लाने-लेजाने, ऑपरेटर, हेल्पर व वाहन का व्यय बीडर का होगा।	प्रति किलो से वेल्डिंग कार्य की दर मय माल मटेरियल, मशीन आदि के	रु. अक्षरे:- प्रतिकिलो वेल्डिंग कार्य मय माल मटेरियल आदि के
कुल योग:-			

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम मेरी जानकारी में है तथा सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये गए हैं।

हस्ताक्षर बीडर
मय सील

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर



कार्यालय नगर निगम, उदयपुर



दूरभाष स.0294-2414165,

ई.मेल garage.umc21@gmail.com

क्रमांक:- गैराज/ननिउ/2022-23/ 364

दिनांक:- 07.07.2022

कार्य का नाम:- नगर निगम उदयपुर को गैस कटर मशीन, वेल्डिंग मशीन मय ऑपरेटर व वाहन सहित किराये पर उपलब्ध कराने एवं आवश्यकतानुसार वेल्डिंग कार्य मय माल मटेरियल के कार्य की वार्षिक दर संविदा

—: सीमित निविदा के नियम एवं शर्त :-

- 1) निविदा शुल्क एवं निविदा प्रोसेस शुल्क रिफण्डेबल नहीं है।
- 2) संवेदक को दरें गंतव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धृत करनी होगी तथा उसमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना होगा।
- 3) यह कि नगर निगम द्वारा केवल प्रशासनिक शर्तों में परिवर्तन किया जा सकेगा जिससे नगर निगम को कोई वित्तीय प्रभार वहन नहीं करना पड़े।
- 4) सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- 5) समस्त राजकीय कर टीडीएस काटे जाकर संबंधित विभाग में नियमानुसार जमा कराये जायेगें, अन्य समस्त करों एवं कानूनी दायित्वों की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
- 6) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 लागु होंगें।
- 7) दरो की गणना कुल योग के आधार पर की जायेगी।
- 8) बीड में अंकित दरो का अंकन अक्षरों एवं अंको में साफ-साफ एवं समस्त करो सहित प्रस्तुत करनी होगी।
- 9) संवेदक द्वारा प्रस्तुत दर 8 घंटे की होगी इसके अतिरिक्त कार्य अधिक होने पर उसके आनुपातिक प्रति घंटे की दर से भुगतान किया जायेगा।
- 10) संवेदक को गैस कटर, वेल्डिंग मशीन, सिलेण्डर, आपरेटर व डीजल आदि स्वयं के व्यय से उपलब्ध कराने होंगें। जिसका निगम द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
- 11) संवेदक को कार्य करने के बाद ही बिल का भुगतान किया जायेगा।
- 12) न्यूनतम व उच्चतम दरें स्वीकृत करने के समस्त अधिकार आयुक्त/महापौर के पास सुरक्षित रहेंगें।
- 13) गैस कटर/वेल्डिंग मशीन समय उपलब्ध नहीं कराने पर निगम द्वारा बाजार से कार्य कराने में जो व्यय होगा वह संवेदक को होने वाले बिल भुगतान से वसूल किया जायेगा।
- 14) निगम की आवश्यकतानुसार गैस कटर मय भरे हुए सिलेण्डर या वेल्डिंग मशीन की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।
- 15) बीड खोलने की दिनांक से बीड की दरें 01 वर्ष तक वैध होगी।
- 16) गैराज प्रभारी/सम्बन्धित अधिकारी एवं आयुक्त महोदय के मौखिक/लिखित आदेशानुसार गैस कटर/वेल्डिंग मशीन उपलब्ध कराना होगा। किसी न्यूनतम मात्रा की गारण्टी नहीं है।
- 17) कार्य हेतु निविदादाता को मौके की जानकारी लिखित/मौखिक दी जाएगी। सफल बिडर को निर्धारित स्थान पर पहुँच कर कार्य मौके पर उपस्थित निगम अधिकारियों के निर्देश पर करना होगा। निर्धारित स्थान पर समय पर नहीं पहुँचने पर/विलम्ब से पहुँचने पर प्रति प्रकरण 1000/- रु. की शास्ती लगाई जाएगी तथा पांच से अधिक शास्तीयाँ हो जाने पर दर अनुबन्ध निरस्त किये जाने का अधिकार आयुक्त/महापौर द्वारा लिया जायेगा जो संवेदक को मान्य होगा।

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

- 18) किये गये कार्य की तिथिवार लोगशीट बिल के साथ संलग्न करनी होगी। जो प्रमाणीकरण कर्ता अधिकारी जो स्वास्थ्य शाखा हेतु स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व शाखा हेतु राजस्व अधिकारी, उद्यान शाखा हेतु प्रभारी उद्यान (सहायक अभियन्ता) व निर्माण शाखा हेतु सम्बन्धित कार्य हेतु प्रभारी सहायक अभियन्ता होंगे से प्रमाणित करानी होगी। अन्य किसी भी शाखा के कार्य हेतु प्रमाणीकरण गैराज प्रभारी द्वारा किया जाएगा।
- 19) आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 और 2013 के समस्त प्रावधान लागु होंगे।

हस्ताक्षर बीडर
मय सील


आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर